<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

दिनांक 03 अगस्त 2022

खाद्य तेलों (घटक के रूप में एक तेल) और ट्रांस-फैटी एसिड में मिलावट तथा बहु-स्रोत वाले खाद्य तेल की बिना उचित लेबलिंग की बिक्री की जाँच के लिए 01.08.2022 से राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा विभागों ने देश भर में गहन निगरानी अभियान शुरू किया है।

इस अभियान को खाद्य नियामक द्वारा अभिकल्पित तथा अभिष्ट किया गया है ताकि उन दोषी एफबीओ के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा सके जो मिलावटी खाद्य तेल या खुला खाद्य तेल बेचते पाए जाएँ।

अभियान के पहले तीन दिनों के दौरान, 24 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने बहु-स्रोत वाले खाद्य तेलों के साथ-साथ खुले खाद्य तेलों और वनस्पति सहित पैकेज्ड तेलों के 628 निगरानी नमूने लिए हैं। नमूनों को एनएबीएल मान्यता प्राप्त/अधिसूचित खाद्य प्रयोगशाला में त्वरित विश्लेषण के लिए भेजा गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी संदिग्ध मिलावट मामले में नियामक नमूनों की तत्काल जाँच कर संबंधित एफबीओ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके।

इसके अलावा, पिछले तीन दिनों के दौरान अब तक 2636 लीटर खुला खाद्य तेल भी मौके पर जब्त किया गया है।

अभियान की निगरानी सभी राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्तों और एफएसएसएआई द्वारा उच्चतम स्तर पर की जा रही है और इसके विकास के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा दैनिक प्रेस विज्ञप्तियां भी जारी की जा रही हैं।

यह अभियान 14.08.2022 तक जारी रहेगा। इसके बाद देश में मिलावट के ऐसे कदाचार में लिप्त बेईमान तत्वों को एक कड़ा संदेश देने के लिए देश में किसी भी मिलावट की सूचना मिलने पर सभी मामलों में नियामक कार्रवाई की जाएगी।

मीडिया के प्रश्नों के लिए संपर्क करें:
रुचिका शर्मा
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
ई: sharmaruchika.21@gmail.com